भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1030
उत्तर देने की तारीख - 02 मार्च, 2016

कॉल ड्रॉप

1030. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी; श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा; डॉ. पी. वेणुगोपाल; श्री भर्तृहरि महताब; श्रीमती वी. सत्यबामा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(**क**) क्या देश में कॉल ड्रॉप के मुद्दे के समाधान हेतु दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमों के लिए भारत के दूरसंचार विनियामक का नौवां संशोधन लागू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) और (ख) ड्राप हुई कॉलों के लिए उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 16 अक्तूबर, 2015 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (नौंवा संशोधन) विनियम, 2015 (2015 का 9) अधिसूचित किया था जो कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू हुए। इन विनियमों में उन सीएमटीएसपी जहां से कॉल की जा रही हो, के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह अनुमानित क्षतिपूर्ति के रूप में काल करने वाले उपभोक्ता के खाते में ड्राप हुई एक काल के लिए एक रूपया जमा करे, जो कि एक दिन ड्राप हुई तीन कॉलों तक सीमित होगा। कुछ सेवा प्रदाताओं और उनके संघ ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस विनियम के विरूद्ध याचिका दायर की है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.02.2016 को याचिका को खारिज़ कर दिया गया है।

****